>

Title: Need to give permission to R.C.M. company, a marketing company in Rajasthan to carry on its business operations till the inquiry in connection with its functioning is over.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भारत की 11 वर्ष पुरानी कंपनी आर.सी.एम. जिसका मुख्य कार्यालय भीलवाड़ा राजस्थान में है की ओर दिलाना चाहता हूं। उक्त कंपनी के अपने उत्पादों का विपणन सीधी वितरण प्रणाली और नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए कर रही है। लगभग 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा भारतीय उपभोक्ता एवं वितरक इसका लाभांश ले रहे हैं और स्वरोजगार कर रहे हैं।

सबसे बड़ी बात है कि दिनांक 9-2-2011 को बिना किसी सूचना के मुखबिर का हवाला देते हुए राजस्थान की पुलिस प्रशासन द्वारा कंपनी का मुख्य सर्वर, मुख्य कार्यालय, उत्पाद ईकाई, गोदाम, सारे बैंक खाते सीज कर दिए गए, जबकि 20-12-2002 को लोकसभा में माननीय सदस्य श्री सुबोध मोहिते के अतारांकित प्रश्न के द्वारा केंद्र सरकार खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के राज्य मंत्री ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने नेटवर्किंग मार्केटिंग को धोखाधड़ी नहीं माना है तथा यह आवश्यक है कि देश में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, दी इंडियन कान्ट्रेक्ट एक्ट 1972, तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 वाले कानून के दायरे में रहकर एल.एम.एल. कंपनी अपना काम करती है।

हमारी सरकार से मांग है कि इसमें झारखंड के भी करीब-करीब पांच हजार लोग काम कर रहे हैं और वहां धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। हमारी विधानसभा के स्पीकर ने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा, हमने भी पत्र लिखा है, लेकिन कार्रवाई शून्य है। हमारा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह होगा कि इस पर अविलंब कार्रवाई करें और इन लोगों को न्याय दिलायें।